न्यायालय अनुमंडल दण्डाधिकारी, बगोदर–सरिया(गिरिडीह)

रामयश बनाम् महेश तर्वे वगै0

विविध वाद संख्या –110/2024

U/S B.N.S.S – 163

आदेश की क्र०सं० और तिथि	पदाधिकारी का आदेश एवंहस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्यवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित

प्रथम पक्षः–

1. रामयश, पिता– रामविलास सिंह,
ग्राम–सेनादोनी, थाना–गिरिडीह(मु0), जिला– गिरिडीह,
वर्त्तमान पता साकिन–बागोडीह चौक, थाना–सरिया,
जिला–गिरिडीह।

बनाम्

द्वितीय पक्षः–

1. महेश तर्वे, पिता–हरी राम,
2. आशिष तर्वे वगै0,
दोनों साकिन–गणेश मंदिर रोड सरिया,
3. लालू मंडल, पिता–स्व0 छोटू मंडल,
4. घनश्याम मंडल, पिता–दशरथ मंडल
दोनों साकिन–बड़की सरिया, सभी थाना–सरिया,
जिला–गिरिडीह।

आदेश

इस वाद की कार्यवाही आवेदक के आवेदन पत्र एवं थाना प्रभारी, सरिया से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन के अवलोकन करने के पश्चात प्रारंभ की गई। वाद की कार्यवाही प्रारंभ कर दोनों पक्षों को विवादित भूमि पर जाने से रोक लगाते हुए अपने–अपने दावे के समर्थन में कारण–पृच्छा की माँग की गई।

विवादित भूमि की विवरणी

मौजा	खाता सं0	प्लॉट सं0	रकवा	चौहद्दी
बड़की सरिया	05	3686	42 डी0	उ0–चुरो सुण्डी, द0–नीज, पु0–खास मालिक, पं0–परती टांड।
		3688	21 डी0	उ0–नीज, द0–पिरतम सुण्डी, पु0–खास मालिक, पं0–परती टांड।

C-C-Issued 2/9/24

02.09.2024

इस न्यायालय से निर्गत नोटिस प्राप्त करने के पश्चात् उभय पक्ष/उनके विद्वान अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित हुए तथा अपने–अपने दावे के समर्थन में लिखित कथन एवं राजस्व दस्तावेज समर्पित किये।

प्रथम पक्ष

प्रथम पक्ष के द्वारा दिनांक 15.07.2024 को लिखित आवेदन के साथ निम्नलिखित दस्तावेज समर्पित किया गया, जो अभिलेख मेंसंलग्न हैं :–

1. लिखित आवेदन – कुल 05 पृष्ठ, **प्रदर्श A-1**
2. समान्य अधिकार पत्र संख्या – 7150, दिनांक– 04.07.2024 की छायाप्रति–कुल 12 पृष्ठ, **प्रदर्श A-2**
3. केवाला संख्या – 1010, दिनांक– 15.04.1933 की छायाप्रति – कुल 03 पृष्ठ, **प्रदर्श A-3**
4. सादा हुकुमनामा की छायाप्रति– कुल 01 पृष्ठ, **प्रदर्श A-4**
5. ऑफ लाईन जमाबंदी की छायाप्रति– कुल 01 पृष्ठ, **प्रदर्श A-5**
6. जागिन पोखरीया के नाम से ऑफ लाईन लगान रसीद की छायाप्रति– कुल 10 पृष्ठ, **प्रदर्श A-6**
7. जागिन पोखरीया के नाम से जमींदारी लगान रसीद की छायाप्रति– कुल 02 पृष्ठ, **प्रदर्श A-7**

प्रथम पक्ष के द्वारा दिनांक 15.07.2024 को समर्पित लिखित कथन में, संक्षिप्त कथन निम्न प्रकार है–

आवेदन का प्वांइट नं0 02 –यह कि विवादित जमीन का विवरण निम्न है –

मौजा	खाता सं0	प्लॉट सं0	रकवा	चौहद्दी
बड़की सरिया	05	3686	42 डी0	उ0–चुरो सुण्डी, द0– नीज, पु0– खास मालिक, पं0–परती टांड।
		3688	21 डी0	उ0–नीज, द0–पिरतम सुण्डी, पु0– खास मालिक, पं0–परती टांड।

आवेदन का प्वांइट नं0 03 –यह कि प्रथम पक्ष को बजरिये निबंधन सामान्य अधिकारी *Power of Attorny* दस्तावेज संख्या – 7150/24 दिनांक 04/07/2024 को प्राप्त है।

आवेदन का प्वांइट नं0 04 –यह कि प्रथम पक्ष के पावर ऑफ एट्रोनी कर्ता गोपाल पोखरीया के दादा जागिन पोखरिया पिता सुधीर पोखरिया के द्वारा ही आज से लगभग 50 वर्ष पूर्व से ही उक्त वर्णित भूमि पर चारदीवारी कर पेड–पौधा लगाया गया था।

आवेदन का प्वांइट नं0 05 – यह कि जमीन हुकुमनामा बन्दोंबस्ती सेवाली गोप पिता डेगलाल गोप को पूर्व जमींदार बाबु सुन्दर राय से वर्ष 10/12/1931 ई0 को हासिल होने के बाद दखलकार होने के बाद सेवाली गोप पिता डेगलाल गोप से वर्ष 1933 ई0 को जागिन

09.2024

पोखरिया पिता सुधीर पोखरिया को केवाला हासिल है। निबंधन केवाला संख्या – 1010 दिनांक 15/04/1933 ई0 को प्राप्त से है।

आवेदन का प्वांइट नं0 06 – यह कि प्रथम पक्ष के पावर कर्ता गोपाल पोखरिया के द्वारा सामान्य अधिकार पत्र के माध्यम से वर्णित भूमि पर जिस प्रकार का हक अधिकार उनका था वो सारा हक अधिकार देते हुए प्रथम पक्ष को उक्त वर्णित भूमि पर दखलकार किए तथा अंचल कार्यालय बगोदर के पंजी *II* के भोलुम नं0 – 02 पेज नं0 – 199 में जागिन पोखरिया पिता सुधीर पोखरिया के नाम से जमाबंदी दर्ज है। रकबा – 63 डी0 व लगान रसीद निर्गत है।

द्वित्तीय पक्ष

द्वित्तीय पक्ष के द्वारा, दिनांक– 20.08.2024 को न्यायालय में उपस्थित होकर, अपने दावे के समर्थन में लिखित कारण–पृच्छा सहित निम्न कागजातों की छायाप्रति दाखिल किया गया, जो अभिलेख में संलग्न है।

1. लिखित कारण–पृच्छा– कुल 05 पृष्ठ, **प्रदर्श B-1**
2. केवाला संख्या – 1729, दिनांक– 07.08.1926 मूल एवं सत्यापित प्रति की छायाप्रति – कुल 09 पृष्ठ, **प्रदर्श B-2**
3. खाता नं0– 223, प्लॉट नं0– 3686 का भातु राम व नंदलाल राम के नाम से ऑनलाइन पंजी II की छायाप्रति– कुल 01 पृष्ठ, **प्रदर्श B-3**
4. केवाला संख्या – 1259, दिनांक– 18.08.1930 मूल एवं सत्यापित प्रति की छायाप्रति– कुल 07 पृष्ठ, **प्रदर्श B-4**
5. खाता नं0– 225 का भातु राम के नाम से ऑफलाईन लगान रसीद की छायाप्रति– कुल 01 पृष्ठ, **प्रदर्श B-5**
6. मौजा का इंडेक्स पंजी की सत्यापित प्रति की छाया प्रति – कुल 01 पृष्ठ;**प्रदर्श B-6**

द्वित्तीय पक्ष के द्वारा दिनांक 20.08.2024 को समर्पित कारण पृच्छा में, संक्षिप्त कथन निम्न प्रकार है–

कारण–पृच्छा का प्वांइट नं0 01 –यह कि प्रथम पक्ष के आवेदन के आलोक में न्यायालय द्वारा दस्तावेज एंव स्थल का जाँच प्रतिवेदन का मांग पत्रांक संख्या 322 दिनांक– 15/07/2024 मौजा–बडकीसरिया, खाता नं0 – 05 प्लॉट नं0 – 3686 रकवा– 42 डी0 चौहदी उ0 –चूरोसुण्डी, द0 –नीज, पू0 – खाश मालिक, प0 –परती टांड द्वितीय प्लॉट 3688 रकवा 21 डी0 चौहदी उ0 –नीज, द0 –प्रितम सुण्डी, पू0 – खाश मालिक, प0 –परती टांड का जाँच प्रतिवेदन का मांग अंचल कार्यालय सरिया और थाना प्रभारी सरिया से मांग किया गया था।

कारण–पृच्छा का प्वांइट नं0 02 –यह कि थाना प्रभारी सरिया के पत्रांक सं0 – 1405/2024 दिनांक 18.07.2024 को जाँच प्रतिवेदन खाता नं0 – 05 प्लॉट 3686 रकवा– 42 डी0 वो प्लॉट नं0 – 3688 रकवा– 21 डी0 जमींन का जाँच प्रतिवेदन न्यायालय में समर्पित किया गया। जिसमें थाना प्रभारी सरिया के द्वारा सरजमीं पर जाँच करने कभी नहीं आए प्रथम पक्ष के मेल मिलाव में आकर टेबल फ्रेम रिर्पोट प्रथम पक्ष के हित में तैयार कर न्यायालय के समक्ष समर्पित किया गया।

कारण–पृच्छा का प्वांइट नं0 03 – यह कि न्यायालय के द्वारा दिनांक – 18.07.2024 को मौजा– बडकी सरिया, थाना नं0 – 44 खाता नं0 – 05, प्लॉट नं0 – 3686 रकवा– 42 डी0 चौहदी उ0 –चूरो सूण्डी, द0 –नीज, पू0 – खाश मालिक, प0 –परती टांड एवं प्लॉट नं0 – 3688 रकवा डी0 – 21 डी0 चौहदी उ0 –नीज, द0 –प्रितम सुण्डी, पू0 – खाश मालिक, प0 –परती टांड का जमींन पर वाद की कार्यवाही प्रारम्भ किया गया।

02.09.2024

कारण–पृच्छा का प्वांइट नं0 04 –यह कि अंचलाधिकारी सरिया के द्वारा भवदीय का जाँच प्रतिवेदन की वाद सं0 – 322 दिनांक– 15.07.2024 के आलोक में अंचलाधिकारी द्वारा जाँच प्रतिवेदन के आलोक में जाँच किये जाँचोपरांत में पत्रांक सं0 – 517 दिनांक– 13.08.2024 के तहत जाँच प्रतिवेदन समर्पित किये सर्वे खतियान के अनुसार खाता नं0 – 05 मौजा – बडकी सरिया, थाना नं0 – 44 के अन्तर्गत सर्वे खतियान अमृत गोवार वल्द ललित गोवार वा मूरत गोवार वल्द गुरू दयाल दर्ज पाये जिसमें खाता नं0 – 05 प्लॉट नं0 – 4713 रकवा– 35 डी0 प्लॉट नं0 – 4715 रकवा– 39 डी0 प्लॉट नं0 – 4750 रकवा– 42 डी0 सर्वे खतियान में दर्ज है।

लेकिन प्रथम पक्ष द्वारा खाता नं0 – 05 प्लॉट नं0 – 3686 रकवा– 42 डी0 प्लॉट नं0 3688 रकवा– 21 डी0 पर मुकदमा लाए है जो सर्वे खतियान के अनुसार भिन्न है, सर्वे खतियान में प्लॉट नं0 – 3686, 3688 दर्ज नहीं है।

कारण–पृच्छा का प्वांइट नं0 05 –यह कि पंजी 2 के अनुसार प्रथम पक्ष का केवाला दस्तावेज सं0 – 1010 दिनांक– 15.04.1933 का दस्तावेज संख्या प्रस्तुत किये। जो सेवली गोप पिता डेगलाल गोप बनाम जागिर पोखारिया, पिता सुधीर पोखारिया के नाम से खरीदगी से हासिल होने का दावा करते है, जिसके आधार पर जिसका जमाबंदी अंचल कार्यालय बगोदर के पंजी 2 भोलूम नं0 – 02 पेज न0 – 199 जागिर पोखारिया पिता सुधीर पोखरिया के नाम से दर्ज होने का दावा करते है, लेकिन अंचल कार्यालय के पंजी 2 भाग 3 का मिलान करने के बाद कार्यालय में उपलब्ध पंजी 2 में कुल पृष्ठो की संख्या 160 है, लेकिन प्रथम पक्ष लीप लेख एंव मिशपलैश करते हुए सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के तहत एंक पंजी 2 का निर्माण किये अंचल कार्यालय पंजी 2 से मिलान करने के बाद अंचलाधिकारी के द्वारा स्पष्ट कहते है कि पंजी 2 में जागिर पोखरिया पिता सुधीर पोखरिया के नाम से कई जमाबंदी दर्ज नहीं है। इससे स्पष्ट प्रतित होता है कि प्रथम पक्ष के द्वारा झूठी संरचना एवं बनावटी के जाल साजी के रूप में प्रथम पक्ष जागिर पोखरिया के नाम जमाबंदी दावा करते है वो गलत है।

कारण–पृच्छा का प्वांइट नं0 06 – यह कि प्रथम पक्ष के द्वारा पॉवर कर्ता गोपाल पोखरिया के द्वारा सामान अधिकार दस्तावेज सं0 – 7150/2024 दिनांक– 04.07.2024 का गोपाल पोखरिया बनाम रामयश के द्वारा दावा करते है जिसके आधार पर प्रथम पक्ष रामयश के द्वारा यह मुकदमा न्यायालय में दाखिल किये।

कारण–पृच्छा का प्वांइट नं0 07 – यह कि सामान अधिकार दस्तावेज सं0 – 7150/2024 दिनांक– 04/07/2024 में केवाला दस्तावेज सं0 '1010 दिनांक– 17/08/1933 में मौजा – बडकी सरिया थाना सरिया थाना नं0 – 44 खाता नं0 – 05 प्लॉट नं0 – 3686 रकवा– 42 डी0 वो प्लॉट नं0 – 3688 रकवा– 21 डी0 गोपाल पोखरिया के द्वारा अपने पिता से प्राप्त होने का करते है, लेकिन आपके न्यायालय में प्रथम पक्ष द्वारा दाखिल पिटीशन के पाराग्राफ 5 में कहते है कि जागिन पोखरिया पिता सुधीर पोखरिया को केवाला दस्तावेज संख्या – 1010 दिनांक– 15.04.1933 को हासिल होने का दावा करते है, वह सरासर फर्जी और बनावटी दस्तावेज है जो रेकड रूम हजारीबाग में दस्तावेज सं0 – 1010 जागिन पोखरिया पिता सुधीर पोखरिया के नाम से कोई दस्तावेज उपलब्ध नहीं है।

कारण–पृच्छा का प्वांइट नं0 08 – यह कि अंचल अधिकारी के जाँच प्रतिवेदन से स्पष्ट होता है कि प्रथम पक्ष मिथ्या दस्तावेज (MAKING A FALSE DOCUMENT) बेईमानी वो कपट पूर्वक तैयार कर पंजी 2 का कुट रचना कर सरकारी स्टाम्प का अपने से गलत उपयोग करते हुवे न्यायालय के समक्ष Furnishing False Information दिया गया है, जिसके आधार पर खाता नं0 – 05, प्लॉट नं0 – 3686, रकवा– 42 डी0 वो प्लॉट न0 – 3688 रकवा– 21 डी0 जमींन पर न्यायालय द्वारा धारा– 163 भा0 ना0 सु0 सं0 के तहत वाद की कार्यवाई प्रारम्भ किया गया है। प्रथम पक्ष का मुख्य उदेश्य द्वितीय पक्ष से झुठा मुकदमा के आधार पर मोटी रकम की माँग किया जा सके और जमींन को विवाद में रखा जा सके।

27.09.2024

कारण–पृच्छा का प्वांइट नं0 09–यह कि मौजा– बडकी सरिया थाना सरिया थाना नं0 – 44 प्लॉट नं0 – 3686 रकवा– 42 डी0 प्रथम पक्ष को बजरिये केवाला दस्तावेज सं0 – 1729 दिनांक– 07.08.1926 खूबलाल पाण्डेय वगैरह बनाम भातू राम वो नन्दलाल राम के नाम से खाता नं0 – 223 प्लॉट न0 – 3686 रकवा– 42 डी0 जिसका जमाबंदी पंजी 2 के पेज नं0 – 242 भाग 16 में रैयत भातु राम और नन्दलाल राम के नाम से दर्ज है। जिसमें केवाला दस्तावेज के अनुसार खाता न0 – 223 प्लॉट नं0 – 3686 रकवा– 42 डी0 जिसका चौहदी उ0 –लोकनाथ पाण्डेय द0 –बेदवा सुण्डी, पू0 –परती जमींन, प0 – श्यामलाल सुण्डी अवस्थित है।

कारण–पृच्छा का प्वांइट नं0 10–यह कि द्वितीय केवाला 1259 दिनांक– 18.06.1930 को वजीर पाण्डेय वगैरह बनाम भातू राम वगैरह मौजा – बडकी सरिया थाना नं0 – 44 के अन्तर्गत खाता नं0 – 225 प्लॉट नं0 – 3688 रकवा– 21 डी0 जिसका जमाबंदी पंजी 2 के पेज नं0 – 162 भाग 01 में रैयत भातू राम के नाम से दर्ज है। जिसका चौहदी उ0 –चूरो पाण्डेय, द0 – बन्धु पाण्डेय, पू– परती कदीम, प0 –अरत सुण्डी दर्ज है।

कारण–पृच्छा का प्वांइट नं0 11 –यह कि अंचलाधिकारी के पत्रांक सं0 – 517 दिनांक– 13/08/2024 एवं अंचल अमीन के मापी रिर्पोट से स्पष्ट होता है कि खाता नं0 – 223 प्लॉट नं0 – 3686 रकवा– 42 डी0 और खाता नं0 – 225 प्लॉट नं0 – 3688 रकवा– 21 डी0 है जो सर्वे खतियान के अनुसार रैयती खाते की जमींन है एवं उपायुक्त कार्यालय गिरिडीह से निर्गत प्लॉट INDEX के अवलोकन करने से ज्ञात होता है कि उपरोक्त खातें की जमींन है।

Intervener तृतीय पक्ष

दिनांक– 23.08.2024 को Intervener के द्वारा समर्पित कथन मे संक्षिप्त कथन निम्न प्रकार है–

आवेदन का प्वाइंट नं0 02 –यह कि उपरोक्त भूमि बकास्त खाते की भूमि है जो मौजा – बड़की सरिया, थाना नं0 – 44 अंतर्गत खाता नं0 – 225, प्लॉट नं0 – 3688, रकबा– 21 डी0 जिसकी चौहदी उ0 –टाँड चुरो पाण्डेय, द0 – धान बंधु पाण्डेय, पू0 –परती कदीम, प0 – धान भारत सुण्डी दर्ज है, जो लगान पाने वाले का नाम लोकनाथ पाण्डेय वगैरह दर्ज है।

आवेदन का प्वाइंट नं0 03 –यह कि उक्त जमीन से संबंधित दस्तावेज मेरे पूर्वजो के नाम पर है तथा उक्त भूमि पर आज भी मेरा दखल कब्जा है तथा मेरे पूर्वजो के द्वारा पूर्व में चारदीवारी दी गई थी जिसका अवशेष स्थल पर मौजूद है।

अंचल सरिया का प्रतिवेदन–

अंचल अधिकारी, सरिया का पत्रांक– 517 दिनांक– 13.08.2024 अनुलग्नक सहित कुल– 04 पृष्ठ (प्रतिवेदन– 02 पृष्ठ, रा0 उ0 नि0 एवं प्र0 अं0 नि0 का प्रतिवेदन– 02 पृष्ठ) –प्रदर्श C-1, अंचल के प्रतिवेदन में प्रथम पक्ष तथा द्वितीय पक्ष के द्वारा दिया गया दस्तावेज को भी संलग्न किया गया है, इस प्रतिवेदन में उपायुक्त कार्यालय गिरिडीह के द्वारा निर्गत प्लॉट इंडेक्स की सत्यापित प्रति की छाया प्रति संलग्न किया गया है; एवं खाता नं0 05 के खतियान की छायाप्रति संलग्न किया गया है।

अंचल के प्रतिवेदन में प्रतिवेदित किया गया है कि –

"(1) खतियान के अनुसार :–मौजा–बड़की सरिया, थाना नं0 – 44 के अंतर्गत खाता नं0 – 05, प्लॉट नं0 – 4713, 4715, 4750 सर्वे रकबा क्रमशः – 35 डी0, 39 डी0 एवं 24 डी0 रैयती खाते की भूमि है। खतियान अमरीत गोवार वल्द ललीत गोवार वो

02.09.2024

मूरत गोवार, वल्द गुरदेयाल गोवार कौम–अहीर के नाम से दर्ज है।

(2) पंजी–II के आधार पर :– यह है कि प्रथम पक्ष के द्वारा दावा/साक्ष्य के रूप में केवाला संख्या– 1010, दिनांक– 15.04.1933, सादा हुकुमनामा की छायाप्रति, सुचना अधिकार अधिनियम 2005 के तहत् निर्गत पंजी II की छायाप्रति, लगान रसीद की दस छाया प्रति प्रस्तुत की गई। साथ ही पश्चिम बंगाल से जारी जेनरल पॉवर ऑफ एट्रॉनी नं0 – 7150/24, दिनांक– 04.07.2024 गोपाल पोखरिया से रामयश को हासिल छायाप्रति प्रस्तुत की गई। प्रस्तुत लगान रसीद का मिलान कार्यालय में उपलब्ध पंजी– II से किया। पाया कि उक्त पंजी पर जागीन पोखरिया, पिता – सुधीर पोखरिया, के नाम से कोई जमाबंदी दर्ज नहीं है। साथ ही आवेदक द्वारा संलग्न लगान रसीद संख्या – 038869, दिनांक– 08.06.2016 पर दर्ज भाग संख्या –III , पृष्ठ संख्या – 180 एवं संलग्न सूचना अधिकार अधिनियम से प्राप्त पंजी–II का मिलान भी पुनः कार्यालय में उपलब्ध पंजी–II से किया। पाया कि हल्का मे उपलब्ध पंजी–II के भाग संख्या –III पर अंतिम पृष्ठों की संख्या – 160 है एवं उक्त रजिस्टर – II खास महल फार्मेट में है, परन्तु आवेदक द्वारा प्रस्तुत पंजी II टेनेन्ट्स लेजर फॉर्मेट में है, जो संदेहास्पद प्रतीत होता है। प्रथम पक्ष से मूल केवाला का माँग किया जा सकता है।

द्वित्तीय पक्ष के द्वारा दावा/साक्ष्य के रूप में प्रश्नगत भूमि मौजा – बड़की सरिया अंतर्गत खाता नं0 – 225, प्लॉट नं0 – 3688, रकबा– 21 डी0 भूमि भातु राम, राम प्रसाद राम, डीगरी राम वगै0 को हासिल केवाला संख्या – 1259, दिनांक– 17.06.1930 की छायाप्रति प्रस्तुत की गई। परन्तु उक्त भूमि से संबंधित कोई लगान रसीद प्रस्तुत नहीं किया गया।

द्वित्तीय पक्ष के द्वारा पुनः प्लॉट संख्या – 3686, के संबंध में भातु राम वो नन्दलाल राम के नाम से हासिल केवाला संख्या – 1729, दिनांक– 07.08.1926 की छायाप्रति ऑनलाईन पंजी–2 भाग संख्या 16, पृष्ठ सं0– 242 की छायाप्रति प्रस्तुत की गई। साथ ही द्वित्तीय पक्ष द्वारा प्रस्तुत उपायुक्त कार्यालय, गिरिडीह द्वारा निर्गत प्लॉट इन्डेक्स के अवलोकन से ज्ञात होता है कि प्लॉट संख्या – 3686, खाता नं0 – 223 के अधीन है।

(3) सर जमीन पर दखल कब्जा के संबंध में :– स्थल जाँच के कम में मौके पर उपस्थित व्यक्तियों के द्वारा बताया गया कि द्वित्तीय पक्ष के द्वारा प्रश्नगत भूमि पर चहार दिवारी का निर्माण कर एक एस्वेस्टर का कमरा बनाया गया है।"

थाना सरिया का प्रतिवेदन–

थाना प्रभारी, सरिया का प्रतिवेदन, पत्रांक–**1405/2024,** दिनांक 18.07.2024, कुल–01 पृष्ठ (प्रतिवेदन– 01 पृष्ठ), प्रदर्श–**D**-1

थाना के प्रतिवेदन में प्रतिवेदित किया गया है कि –

"जाँच के कम में विवादित भूमि मौजा – बड़की सरिया अंतर्गत खाता नं0 – 05, प्लॉट नं0 – 3686, रकबा– 42 डी0 एवं प्लॉट नं0 – 3688, रकबा– 21 डी0 भूमि पर देखे कि विपक्षी करीब 20 लोगों के संख्या में विवादित भूमि पर चाहरदिवारी निर्माण करा रहें हैं। जाँच के कम में द्वित्तीय पक्ष से कागजात के माँग करने पर किसी तरह का कागजात प्रस्तुत नहीं किया गया। विपक्षी द्वारा विवादित भूमि पर निरन्तर कार्य किया जा रहा है जिसका विरोध वादी द्वारा किया जा रहा है जिस कारण दोनों पक्षों में टकराव की स्थिति बनी हुई है। विवादित भूमि पर निर्माण कार्य जारी रहने से विधि –व्यवस्था की समस्या कभी भी उत्पन्न हो सकती है।"

02.09.2024

विश्लेषण एवं निष्कर्ष

1. **प्रथम पक्ष के द्वारा दिए गए आवेदन के अनुसार विवादित भूमि का विवरण निम्न प्रकार है –**

मौजा	खाता सं0	प्लॉट सं0	रकवा	चौहद्दी
बड़की सरिया	05	3686	42 डी0	उ0–चुरो सुण्डी, द0–नीज, पु0–खास मालिक, पं0–परती टांड।
		3688	21 डी0	उ0– नीज, द0–पिरतम सुण्डी, पु0– खास मालिक, पं0–परती टांड।

2. **प्रथम पक्ष** का कहना है कि उक्त भूमि **सर्वप्रथम सेवली गोप, पिता– डेगलाल गोप को** हुकुमनामा बन्दोबस्ती के माध्यम से, जमींदार बाबु सुन्दर राय से दिनांक 10.12.1931 को प्राप्त हुआ था।

   तत्पश्चात् उक्त भूमि सेवली गोप, पिता– डेगलाल गोप से, **गोपाल पोखरिया के पूर्वज (जागिन पोखरिया, पिता– सुधीर पोखरिया) को**, केवाला संख्या – 1010, दिनांक– 15.04.1933 के माध्यम से प्राप्त हुआ।

   तत्पश्चात् उक्त भूमि, **गोपाल पोखरिया वगै0** से, **प्रथम पक्ष रामयश को** समान्य अधिकार पत्र संख्या – 7150/2024, दिनांक– 04.07.2024 के माध्यम से, प्राप्त हुआ है।

   और इसी के आधार पर प्रथम पक्ष रामयश उक्त भूमि पर अपना दावा कर रहे हैं।

3. **द्वित्तीय पक्ष** के द्वारा मौजा का इंडेक्स पंजी प्रस्तुत करते हुए यह कहा गया है कि प्रश्नगत भूमि खाता 05 का नहीं है बल्कि प्रश्नगत भूमि खाता 223 एवं खाता 225 का है, और इस आधार पर द्वितीय पक्ष के अनुसार भूमि का विवरण निम्न प्रकार है –

मौजा	खाता सं0	प्लॉट सं0	रकवा
बड़की सरिया	223	3686	42 डी0
	225	3688	21 डी0

4. द्वितीय पक्ष का कहना है कि उक्त विवादित भूमि उनके पूर्वज को दो केवाला के माध्यम से खतियानी रैयत/उनके वंशज से प्राप्त हुआ है।

   खाता 223, प्लॉट 3686, रकवा 42 डी0 जमीन केवाला संख्या –1729, दिनांक– 07.

02.09.2024

08.1926 के माध्यम से, खूबलाल पाण्डेय वगैरह के द्वारा भातू राम वो नन्दलाल राम को प्राप्त है, और इसका जमाबंदी पंजी–2 के भाग 16, पेज नं0 242 पर भातु राम वो नन्दलाल राम के नाम से चल रहा है।

पुनः खाता नं0 225, प्लॉट नं0– 3688, रकवा– 21 डी0 जमीन केवाला संख्या –1259 दिनांक– 18.06.1930 के माध्यम से, वजीर पाण्डेय वगैरह से भातू राम वगैरह को भूमि प्राप्त हुआ है। जिसका जमाबंदी पंजी–2 के भाग 01, पेज नं0 162 पर भातु राम के नाम से दर्ज है।

5. प्रथम पक्ष का दावा है कि प्रश्नगत दोनों प्लॉट (3686, 3688) खाता नं0 05 के अंतर्गत आते हैं;

6. **जबकि अंचल कार्यालय के रिपोर्ट में कहा गया है कि *मौजा–बड़की सरिया, थाना नं0 – 44 के अंतर्गत खाता नं0 – 05, प्लॉट नं0 – 4713, 4715, 4750 सर्वे रकबा कमशः – 35 डी0, 39 डी0 एवं 24 डी0 रैयती खाते की भूमि है। खतियान अमरीत गोवार वल्द ललीत गोवार वो मूरत गोवार, वल्द गुरदेयाल गोवार कौम–अहीर के नाम से दर्ज है।***

अंचल के रिपोर्ट के साथ खाता 05 का खतियान संलग्न किया गया है, इसमें खाता 05 के अंतर्गत केवल तीन ही प्लॉट (प्लॉट नं0 – 4713, 4715, 4750) दिखाया गया है।

अतः स्पष्ट है कि प्रश्नगत दोनों प्लॉट (3686, 3688) खाता नं0 05 के अंतर्गत नहीं आते हैं।

अंचल के रिपोर्ट में, संलग्न इंडेक्स पंजी की सत्यापित प्रति की छायाप्रति में, प्लॉट सं0– 3686 को खाता सं0– 223 के अंतर्गत तथा प्लॉट सं0– 3688 को खाता सं0– 225 के अंतर्गत दिखलाया गया है।

पुनः अंचल के रिपोर्ट में कहा गया है कि प्रथम पक्ष के द्वारा प्रस्तुत लगान रसीद का मिलान कार्यालय में उपलब्ध पंजी–2 से किया गया, उक्त पंजी में जागिन पोखरिया, पिता – सुधीर पोखरिया के नाम से कोई जमाबंदी दर्ज नहीं है।

साथ ही अंचल के रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि ***आवेदक द्वारा संलग्न लगान रसीद संख्या – 038869, दिनांक– 08.06.2016 पर दर्ज भाग संख्या –III , पृष्ठ संख्या – 180 एवं संलग्न सूचना अधिकार अधिनियम से प्राप्त पंजी–II का मिलान भी — पुनः कार्यालय में उपलब्ध पंजी–II से किया। पाया कि हल्का मे उपलब्ध पंजी–II के भाग संख्या –III पर अंतिम पृष्ठों की संख्या – 160 है एवं उक्त रजिस्टर – II खास महल फार्मेट में है, परन्तु आवेदक द्वारा प्रस्तुत पंजी II टेनेन्ट्स लेजर फॉर्मेट में है, जो संदेहास्पद प्रतीत होता है।***

7. **अंचल और थाना के प्रतिवेदन से स्पष्ट है कि प्रश्नगत विवादित भूमि पर द्वितीय पक्ष का कब्जा है।**

8. **Intervener तृतीय पक्ष** के द्वारा केवल खतियानी रैयत के वंशज होने के आधार पर दावा किया जा रहा है, परन्तु कोई भी सरकारी लगान रसीद / जमाबंदी का कॉपी प्रस्तुत नहीं किया गया है, **अतः Intervener तृतीय पक्ष का दावा स्वीकार करने योग्य नहीं है।**

02.09.2024

अतः इस वाद में प्रथम पक्ष तथा Intervener तृतीय पक्ष के विरूद्ध निर्गत निषेधाज्ञा को संपूष्ट किया जाता है; तथा द्वित्तीय पक्ष के विरूद्ध निर्गत निषेधाज्ञा को वापस लिया जाता है।

अंसतुष्ट पक्ष सक्षम न्यायालय में जा सकते हैं।

उभय पक्ष तथा **Intervener तृतीय पक्ष** को आदेश से अवगत करायें।

कानुन व्यवस्था संधारण हेतु आदेश की प्रति थाना एवं अंचल कार्यालय को भेजें।

इसके साथ ही वाद को समाप्त घोषित किया जाता है।

लेखापित एवं संशोधित।

02.09.2024

अनुमंडल दण्डाधिकारी
बगोदर–सरिया।

02.09.2024

अनुमंडल दण्डाधिकारी
बगोदर–सरिया।

C.C. Issued

Digitally signed by BIPIN KUMAR DUBEY
Date: 2024.09.20 16:41:47 +05:30
Location: 192.168.45.238